कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन
अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-ctd.cg@nic.in

क्रमांक / जउयो / 01 / 2019–20 / 10001 अटल नगर रायपुर दिनांक 30 / 01 / 2019

प्रति,

कलेक्टर,

जिला .... (छ0ग0)

विषय :– आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित–2016) वर्ष 2019–20 में कक्षा 6वीं एवं कक्षा–9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश।

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको विगत वर्षों में आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित–2016 नियम) की प्रति एवं योजना का प्रचार–प्रसार करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये है।

आदिम जाति / अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित–2016) योजना की कंडिका 11 अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु जिला स्तर पर चयन परीक्षा आयोजित कर चयन किया जाना है। अतएव योजनांतर्गत वर्ष 2019–20 में कक्षा 6वीं एवं कक्षा–9वीं में प्रवेश हेतु दिनांक **10.03.2019** को **समय दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक** लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है । परीक्षा आयोजन संबंधी दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. प्रवेश परीक्षा संबंधी पात्रता एवं आवेदन पत्र को पर्याप्त मात्रा में छपाकर शालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था एक सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाए।
2. परीक्षा तिथि के पर्याप्त पूर्व परीक्षा केन्द्र का चयन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावें।
3. प्रश्न पत्रों का सील्ड बंद लिफाफा दिनांक **07.03.2019** को कार्यालय आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर से वितरण किया जाएगा। अतः इस हेतु किसी जिम्मेदार अधिकारी को अधिकृत रूप से बड़ा थैला / बॉक्स तथा सीलबंद करने हेतु चपड़ा इत्यादि सामग्री के साथ भेजा जाए।
4. सहायक आयुक्त, दो शिक्षक एवं एक अशासकीय व्यक्ति के समक्ष प्रश्न पत्र के लिफाफे को परीक्षा प्रारंभ समय से **20 मिनट** पूर्व बंद लिफाफा खोला जाकर, हस्ताक्षरयुक्त लिफाफा सुरक्षित रखें।
5. आपके जिले में कुल स्वीकृत सीट से तीनगुना नामों की मेरिट सूची तैयार कर भेजी जावे।
6. बच्चों को वितरित प्रश्न पत्रों में ड्यूटी कर रहे पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम, पद स्थापना स्थान सहित उल्लेखित किया जावे।

7 पर्यवेक्षक एवं प्रश्न पत्रों के जांचकर्ता पृथक–पृथक रखे जाकर जांचकर्ता के हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम तथा पदस्थापना स्थान का प्रत्येक प्रश्न पत्र में उल्लेख किया जावे।

8 परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त कार्य बहुत सावधानी एवं गोपनीयता से किया जावे।

9. परीक्षा आयोजन स्थल पर पेयजल, रोशनी एवं पृथक–पृथक बालक–बालिका शैचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

10. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाये । छात्रों को एवं उनके पालकों को योजना के प्रति जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र योजना का लाभ लेने हेतु आगे आयें ।

11. कंडिका 4 अनुसार पालकों की सहमति/आयकर दाता न होने का प्रमाण–पत्र, संस्था से ग्रामीण अंचल में होने का प्रमाण संबंधित जानकारी, जाति प्रमाण, अंकसूची में प्राप्तांक संबंधी जानकारी, चयन परीक्षा के पूर्व से ही एकत्र कर पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे।

12. योजना एवं चयन परीक्षा की तिथि का प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों, प्राचार्यों एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला की बैठक लेकर की जावे।

13. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् दो शिक्षकों से प्रश्न–पत्र की जांच करवाकर उत्तर पुस्तिकाओं को एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखें तथा परीक्षा में सम्मिलित समस्त छात्रों के परीक्षा परिणामों की कक्षा–6वीं एवं 9वीं (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक–पृथक सूची) की एक मेरिट सूची निर्धारित संलग्न प्रपत्र में, तैयार कर सी.डी. सहित बंद लिफाफे में हस्ताक्षर सहित विशेष वाहक के हस्ते दिनांक **10.04.2019** तक अनिवार्यतः मुख्यालय में पदस्थ **योजना प्रभारी अधिकारी** को देवें।

14. मेरिट लिस्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार किये जाने पर मान्य होगी। त्रूटिपूर्ण या प्रपत्र से विसंगति होने पर मेरिट लिस्ट मान्य नहीं की जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की पृथक–पृथक कक्षावार सूची तैयार कर भेजी जावे। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी नहीं दिए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक काय्रवाही प्रस्तावित की जायेगी।

परीक्षा आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा एवं विभिन्न स्तर पर कार्य विभाजन एवं जिम्मेदारी देने हेतु कृपया जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्ष मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं के लिए पृथक–पृथक शिक्षक रखे जाए। अतः परीक्षा केन्द्रों पर कड़ाई से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही कराया जाए। परीक्षा केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी जाए। मूल्यांकनकर्ता द्वारा निष्पक्ष व शत प्रतिशत निष्ठा द्वारा मूल्यांकन किया गया है यह सुनिश्चित कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डी. डी. सिंह)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

d:\juy application 19-20 website.docx 7

पृ.क्रमांक / जउयो / 01 / 2019–20 / 10002 अटल नगर रायपुर दिनांक 30-01-2019

प्रतिलिपि,

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला – .... को निर्देशित किया जता है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वय, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वय राजीव गांधी शिक्ष मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारण किया जाए। अधिकारी के साथ एक बैठक कर योजना का प्रचार–प्रसार तथा प्रवेश परीक्षा के आयोजन हेतु शालाओं का निर्धारण करने की कार्य योजना बना ली जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

छत्तीसगढ़ रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
(यथा संशोधित 2016)
प्रवेश संबंधी नियम–निर्देश शिक्षण सत्र 2019–20

उद्देश्य :– योजना का उद्देश्य अनु. जन जाति, अनु. जाति के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बर्हिमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छ.ग. राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश कराया जाता है एवं शाला का पूर्ण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनांतर्गत कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है।

छात्रों के चयन का मापदण्ड/पात्रता शर्ते :–

1. विद्यार्थी छ.ग. का मूल निवासी हो।
2. छ.ग. राज्य में मान्य अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का हो। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
3. छ.ग. में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला से में कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा कक्षा चौथी एवं कक्षा सातवी की परीक्षा में 80% स अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है।
4. पालक की आय समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक न हो। निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए।
5. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में ही अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजनान्तर्गत आवेदन कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत सीट का निर्धारण :–

1. कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जिलावार सीट निर्धारित है। जिसे जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय से ज्ञात किया जा सकता है।
2. कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु कुल 50 सीट है। जिला स्तर पर चयन परीक्षा के आधार पर राज्य स्तर पर मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा।
3. उपर्युक्त सीट संख्या के आधार पर यह आवश्यकता नहीं कि सभी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश का निर्धारण बजट सीमा में उपलब्ध राशि अंतर्गत किया जा सकेगा।

प्रवेश परीक्षा का पैटर्न :–

1. **कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु** – कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 20–20 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।
2. **कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु** – कक्षा 8वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, पर्यावरण एवं संस्कृत पर आधारित 100 आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, पर्यावरण के लिए 20–20 अंक तथा हिन्दी एवं संस्कृत के 10–10 अंक के प्रश्न रहेंगे। इस हेतु 120 मिनट का समय होगा।

आवेदन कैसे भरें :–

1. निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता यथा शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्ते पूर्व रहता है। अधूरे आवेदन अग्रेषित न किया जाए।
2. समस्त आवेदन पत्र जिले द्वारा निर्धारित विद्यालय में **दिनांक 23.02.2019 को 5.00 बजे शाम तक** जमा किये जा सकेंगे।
3. प्रवेश संबंधी चेक लिस्ट का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रवेश परीक्षा संबंधी चेक लिस्ट (सम्भावित)		
क्र	कार्यक्रम विवरण	तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की तिथि	23.02.2019
2	शाला प्रमुख द्वारा विद्यार्थी के आवेदन का परीक्षण एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषण	25.02.2019
3	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करना	27.02.2019
4	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा राज्य मुख्यालय को प्राप्त आवेदनों की संख्या जिलावार विकास खण्डवार का प्रेषण (Mail / Fax) द्वारा	02.03.2019
5	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण एवं प्रवेश पत्र एवं रोल नम्बर जारी करना एवं इसकी सूचना सभी अधीक्षकों / वि.ख.शि.अ. के माध्यम से शाला एवं विद्यार्थी तक पहुंचाना एवं समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करना	05.03.2019
6	राज्य मुख्यालय स्तर पर सील बन्द प्रश्न पत्रों का वितरण (सहायक आयुक्त द्वारा किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजा जाए)	07.03.2019 (कार्या.आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मुख्यालय रायपुर से प्राप्त करेंगे।)
7	जिला स्तर / विकास खण्ड स्तर पर परीक्षा का आयोजन	10.03.2019, दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक
8	जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा	20.03.2019
9	दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना	05.04.2019
10	राज्य मुख्यालय को अंतिम मेरिट सूची भेजना (अनु.जाति एवं जनजाति वार) कक्षा 6वीं एवं 9वीं का पृथक–पृथक	10.04.2019
11	काउंसिलिंग की संभावित तिथि	पृथक से सूचित किया जाएगा।
12	कक्षाएँ प्रारंभ	18.06.2019

विस्तृत विवरण :– योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट WWW.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(डी. डी. सिंह)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2019–20

आवेदन–पत्र

आवेदन की अन्तिम तिथि : ....

पासपार्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहाँ वह कक्षा 5 वीं/8वीं में पढ़ रहा है/रहीहै)केप्रधानाचार्य से सत्यापित हो

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

रोलनंबर | | | | | | :–

परीक्षा केन्द्र का नाम : ....

जिले का नाम : ....परीक्षा का माध्यम ....

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....

   अंग्रेजी में (कैपिटल लेटर में) : ....

3. पिता का नाम : ....

4. माता का नाम : ....

5. जाति (अ.ज.जा/अ.जा) : ....

   सक्षम अधिकारी का स्थाई जाति प्रमाण पत्र सलग्न किया जाए.

6. पत्र व्यवहार का पता : ....

   : ....

7 मोबाईल न : | | | | | | | | | | |

8. जन्म तिथि (अंकों में) तिथि | | | माह | | | वर्ष | | | | |

9. जन्म तिथि (शब्दो में) : ....

10. उचित बाक्स में सही (✓)का निषान लगायें (अ) लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐

11. कक्षा चौथी/सातवी का प्राप्तांक : कुल पूर्णांक................कुल प्राप्तांक........ प्रतिषत............ग्रेड............

12. पालक की आय (स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाए) ....

13. विद्यालय किस निकाय के अंतर्गत आता है : ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/जनपद पंचायत...............

आवेदक/पालक का हस्ताक्षर दिनांक सहित

शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी श्री/कु. .... पिता .... निवासी..................ग्राम........ .... वि.ख............... जिला............ विद्यालय............. में वर्ष................ में कक्षा .... में अध्ययनरत है विद्यार्थी द्वारा आवेदन में दिये गये विवरण का मैंने अभिलेखों से परीक्षण कर लिया है एवं विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखता है।

शाला प्रमुख का हस्ताक्षर एवं सील दिनांक सहित

टीपः कक्षा पांचवी/आठवीं में अध्ययनरत केवल अनुसूवित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राएं ही आवेदन करें।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2019–20

आय हेतु स्वघोषणा पत्र

(अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

मैं .... पिता .... उम्र .... निवासी ग्राम .... वि.खं. ...., जिला .... यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं –

1. मेरा पुत्र / पुत्री ने वर्ष .... **आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत** प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया है।
2. मैं छ.ग. राज्य द्वारा घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हूं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मेरे पास है।
3. मैं छ.ग. राज्य का मूल निवासी हूं।
4. पिता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....
   पिता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय ....
   माता (यदि शासकीय सेवक है तो) आय ....
   माता (यदि निजी संस्था सेवक है तो) आय ....
   पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय ....
   परिवार के कृषि से आय ....
   आवेदक की आय ....
   कुल आय ....
5. मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय .... है।

उपरोक्त कंडिका 1 से 5 की जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सही है। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो, मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदर रहूंगा।

पालक का हस्ताक्षर नाम सहित

पालक द्वारा घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया है।

(शाला प्रमुख)
(हस्ताक्षर सील सहित)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का पावती

वर्ष 2019–20

<u>पावती</u>

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकायें जो उस विद्यालय(जहाँ वह कक्षा 5 वीं/8वीं में पढ़ रहा है/रहीहै)केप्रधानाचार्य से सत्यापित हो

श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में .... जिला .... (छत्तीसगढ़) चयन परीक्षा वर्ष 2019–20 हेतु दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

टीप :– विद्यार्थी को आबंटित परीक्षा केंन्द्र एवं रोल नंबर की जानकारी जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या शाला से परीक्षा दिनांक से एक सप्ताह से पूर्व प्राप्त करें। जिन्हे प्रवेश पत्र ना मिला हो वे इस पावती के आधार पर परीक्षा में शामिल हो सकते है। परीक्षा दिनांक 10.03.2019 को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक संबंधित केन्द्र में होगी।

<u>प्राप्तकर्ता (शाला प्रमुख)</u>
<u>(हस्ताक्षर सील सहित)</u>

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2019–20 हेतु चयन परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मेरिट सूची प्रपत्र

कक्षा –.......................

वर्ग – ....

क्र.	रोल नं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	छ.ग. का मूल निवासी है/नहीं	जाति /वर्ग (अभिभावक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र हो)	संबंधित जिला	कक्षा 4थी/7वीं में प्राप्तांक का प्रतिशत/ग्रेड	कक्षा 5वीं/8वीं अध्ययनरत् संस्था का नाम एवं विकास खण्ड	पालक की सहमति(छात्र के पिता से सहमति ले ली गई है तो सहमत टीप अंकित करें)	पालक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक 2.50 लाख से अधिक न हो, आय का उल्लेख करें, (जिसमें कृषि/व्यवसाय/नौकरी दर्शित हो)	छात्र कक्षा–5वी/8वी की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र यथा ग्राम पचायत,नगर पचायत या जनपद पंचायत क्षेत्र की शाला से उत्तीर्ण किया है के संबंध में स्पष्ट टीप देवें	चयन परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक एवं प्रतिशत को अलग अलग लिखें			छात्र/छात्रा का संपर्क नंबर (टेलीफोन/मोबाईल नंबर)	रिमार्क
												पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

टीप :– वर्गवार एवं कक्षावार पृथक–पृथक मेरिट सूची तैयार कर भेजें।

D:\jawahar utkarsh\2017-18 merit list\std merit list 17-18\merit list 17 18 final

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2019–20 के विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग फार्म

विद्यार्थी का नाम : ....

पिता का नाम : ....

जाति : ....

पता : ....

....

....

शहरी / ग्रामीण : ....

वर्तमान में किस कक्षा मे पढ़ रहे है : ....

संस्था चयन की प्राथमिकता .... (नोट जिसमें सर्वप्रथम प्रवेश चाहते है, उसे 01 नंबर देना है और उसके बाद जिसमें प्रवेश चाहते है। उसे क्रमांक 02, 03, 04 आदि लिखें।)

क्र.	संस्था का नाम	प्राथमिकता क्रम
1	राजकुमार कॉलेज रायपुर	
2	कांगेरवेली एकेडमी रायपुर	
3	एलॉन्स पब्लिक स्कूल, बेमेतरा	
4	युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	
5	सेन्ट विसेन्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव	
6	देल्ही पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	
7	संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल, राजनांदगांव	
8	संस्कार पब्लिक स्कूल, रायगढ़	
9	देल्ही पब्लिक स्कूल रायगढ़	

मेरे द्वारा निम्नानुसार अभिलेख की सत्यापित प्रति जमा की जा रही है :–

1. निवास प्रमाण पत्र : ....
2. जाति प्रमाण पत्र : ....
3. आय प्रमाण पत्र : ....
4. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची : ....

विद्यार्थी का हस्ताक्षर : ....

दिनांक : ....

पालक / अभिभावक का नाम
एवं हस्ताक्षर
मोबाईल नंबर ....